न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक डी.1 **सी.3** / स्टेनो / 2025 दिनांक 02.06.2025

–:: संशोधित कार्य विभाजन पत्रक ::–

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 28.05.2025 अनुसार जिला मुख्यालय भिण्ड पर **डॉ. मनोज कुमार** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड एवं तहसील लहार में **श्री अक्षत तायल** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड **लहार** को ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड से प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता मैं **श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक क्रमांक डी.1 / स्टेनो / 2025 दिनांक 07.04.2025 प्रभावशील दिनांक 07.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यविभाजन में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करती हूँ :–

क्र.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	क्षेत्राधिकार
1.	**डॉ. मनोज कुमार,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, **भिण्ड** जिला भिण्ड	**जनपद पंचायत भिण्ड** के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।
2.	**श्री अक्षत तायल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, **लहार** जिला भिण्ड	**जनपद पंचायत लहार** के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।

नोट – **1.** आदेश आज दिनांक 02.06.2025 से प्रभावशील।
2. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार यथावत् रहेगा।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

प्रतिलिपि पृष्ठांकन क्रमांक 595 भिण्ड, दिनांक 02-06-2025

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
02. **समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड** की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय भिण्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल किये हेतु प्रेषित।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,